प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 21.11.2026**

थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शस्त्र एवं कारतूस के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम, थाना रनियां पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर लाला वर्मा पुत्र स्व0 कालीचरन, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम मुबारकपुर लाटा, थाना रनियां, जनपद कानपुर देहात (वर्तमान पता ग्राम गजफ्फरपुर खण्ड नदीहा बुजुर्ग, थाना ककवन, जनपद कानपुर नगर, स्थाई पता ग्राम मानपुर, थाना शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर) को 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ चिरौरा नहर पुलिया से मुबारकपुर लाटा नहर पुलिया के बीच बनी बम्बी की पुलिया से दिनांक 20.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रनियां पर पर मु0अ0सं0 221/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम लाला वर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त लाला वर्मा उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम-पता-

लाला वर्मा पुत्र स्व0 कालीचरन, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम मुबारकपुर लाटा, थाना रनियां, जनपद कानपुर देहात (वर्तमान पता ग्राम गजफ्फरपुर खण्ड नदीहा बुजुर्ग, थाना ककवन, जनपद कानपुर नगर, स्थाई पता ग्राम मानपुर, थाना शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर)

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0326/2018 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 079/2022 धारा 324/504 भा0द0वि0 थाना ककवन जनपद कानपुर नगर,
3. मु0अ0सं0 221/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार तिवारी
2. हे0का0 250 सत्येन्द्र कुमार
3. का0 258 रवीन्द्र सिंह
4. का0 629 सोनू कुमार